



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 917]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2017/कार्तिक 19, 1939

No. 917]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2017/KARTIKA 19, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1379(अ).—सा. का. नि. संख्या 625(अ), दिनांक 28 मार्च, 2014 के अधिक्रमण में, मंत्रालयी स्टाफ प्रशिक्षण इकाइयों (एमएसटीयू) के कार्यकलापों का सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पुनर्गठन किया जा रहा है। अतः अब राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) के द्वारा निम्नानुसार प्रशासनिक प्राधिकार का प्रयोग किया जाएगा।

संवर्ग पुनर्संरचना आयोजना, 2014 के परिणामस्वरूप, मंत्रालयी स्टाफ प्रशिक्षण इकाइयों के कार्यकारी क्षेत्राधिकार में निम्न रूप से सूचीबद्ध किए अनुसार कॉलम (1) में दिए गए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त के समग्र प्रादेशिक क्षेत्राधिकार आएंगे, जैसा कि नीचे दिए गए कॉलम (2) में उनके सामने तदनु रूपी मंत्रालयी स्टाफ प्रशिक्षण इकाइयां दर्शाई गई हैं। संबंधित पर्यवेक्षकीय प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (डीटीआरटीआई) को कॉलम (3) में दर्शाया गया है। एमएसटीयू में तैनात आयकर अधिकारी तथा कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत करने सहित, एमएसटीयू के आयकर अधिकारियों तथा कर्मचारियों की एपीएआर की रिपोर्टिंग तथा समीक्षा कार्य, प्रधान, डीजीआईटी; एनएडीटी के द्वारा तत्काल प्रभाव से संबंधित एडीजी, प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (डीटीआरटीआई) के माध्यम से किया जाएगा।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सभी एमएसटीयू के संबंध में अपने क्षेत्र में स्थानांतरण, तैनाती, स्थापना तथा बुनियादी ढांचे के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी (सीसीए) होंगे।

1	2	3
एमएसटीयू स्टेशन	प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी क्षेत्र	पर्यवेक्षकीय डीटीआरटीआई
1. अहमदाबाद 2. बड़ौदा 3. राजकोट 4. सूरत	1. प्रधान सीसीआईटी, गुजरात 2. सीसीआईटी, बड़ौदा 3. सीसीआईटी, राजकोट 4. सीसीआईटी, सूरत	डीटीआरटीआई, अहमदाबाद
1. जयपुर 2. जोधपुर 3. उदयपुर	1. प्रधान सीसीआईटी, राजस्थान 2. सीसीआईटी, जोधपुर 3. सीसीआईटी, उदयपुर	डीटीआरटीआई, अहमदाबाद
1. बेंगलुरु 2. पणजी	1. प्रधान सीसीआईटी, कर्नाटक एवं गोवा 2. सीसीआईटी, पणजी	डीटीआरटीआई, बंगलौर
1. हैदराबाद 2. विज़ाग	1. प्रधान सीसीआईटी, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना 2. सीसीआईटी, विज़ाग	डीटीआरटीआई, बंगलौर
1. चंडीगढ़ 2. शिमला 3. अमृतसर 4. लुधियाना 5. पंचकुला	1. प्रधान सीसीआईटी, पश्चिमोत्तर क्षेत्र 2. सीसीआईटी, शिमला 3. सीसीआईटी, अमृतसर 4. सीसीआईटी, लुधियाना 5. सीसीआईटी, पंचकुला	डीटीआरटीआई, चंडीगढ़
1. दिल्ली	1. प्रधान सीसीआईटी, दिल्ली	डीटीआरटीआई, दिल्ली
1. चेन्नई 2. कोयम्बटूर 3. मदुरै 4. त्रिची	1. प्रधान सीसीआईटी, तमिलनाडु 2. सीसीआईटी, कोयम्बटूर 3. सीसीआईटी, मदुरै 4. सीसीआईटी, त्रिची	डीटीआरटीआई, चेन्नई
1. कोची 2. त्रिवेन्द्रम	1. प्रधान सीसीआईटी, केरल 2. सीसीआईटी, त्रिवेन्द्रम	डीटीआरटीआई, चेन्नई
1. कोलकाता	1. प्रधान सीसीआईटी, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम	डीटीआरटीआई, कोलकाता
1. गुवाहाटी 2. शिलांग	1. प्रधान सीसीआईटी, पूर्वोत्तर 2. सीसीआईटी, शिलांग	डीटीआरटीआई, कोलकाता
1. पुरी	1. प्रधान सीसीआईटी, ओड़ीशा	डीटीआरटीआई, कोलकाता
1. पटना 2. हजारीबाग	1. प्रधान सीसीआईटी, बिहार तथा झारखंड 2. सीसीआईटी, रांची	डीटीआरटीआई, पटना
1. कानपुर 2. देहरादून 3. गाजियाबाद	1. प्रधान सीसीआईटी, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) तथा उत्तराखंड 2. सीसीआईटी, देहरादून 3. सीसीआईटी, गाजियाबाद	डीटीआरटीआई, लखनऊ
1. लखनऊ 2. बरेली 3. इलाहाबाद	1. प्रधान सीसीआईटी, उत्तर प्रदेश (पूर्व) 2. सीसीआईटी, बरेली 3. सीसीआईटी, इलाहाबाद	डीटीआरटीआई, लखनऊ
1. भोपाल	1. प्रधान सीसीआईटी, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	डीटीआरटीआई, भोपाल

2. इंदौर	2. सीसीआईटी, इंदौर	
3. रायपुर	3. सीसीआईटी, रायपुर	
1. नागपुर	1. प्रधान सीसीआईटी, नागपुर	डीटीआरटीआई, भोपाल
1. मुम्बई (3 यूनिट)	1. प्रधान सीसीआईटी, मुम्बई	डीटीआरटीआई, मुम्बई
1. पुणे	1. प्रधान सीसीआईटी, पुणे	डीटीआरटीआई, मुम्बई
2. नासिक	2. सीसीआईटी, नासिक	
3. ठाणे	3. सीसीआईटी, ठाणे	

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है।

[फा. सं. एचआरडी/टीसीवी/एमएसटीयू/801/2013-14/डा.सं. 823/2017-प्रशा.VIII]

जती सिंह मीना, अवर सचिव